न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भिवाड़ी (खैरथल–तिजारा)

(पीठाशीन अधिकारी श्रीमती सुमित्रा मिश्र आर.ए.एस. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भिवाड़ी)

अपील संख्या	किस्म मुकदमा	प्रवेश दिनांक	निर्णय दिनांक
11/13/25	अपील इंतकाल	29.08.2025	25.02.2026

उनवान प्रकरण :–

01. प्रतापसिंह
02. वेदप्रकाश पुत्रान स्व० श्री डालचन्द जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम आलमपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राज०)
03. महेन्द्री पुत्री स्व. श्री डालचन्द पत्नी श्री सरजीत जाति गुर्जर हाल निवासी खटेला तहसील होडल जिला पलवल
04. बिजन्द्री पुत्री स्व. श्री डालचन्द पत्नी श्री धर्मवीर जाति गुर्जर हाल निवासी अभयपुर तहसील सोहना जिला गुरूग्राम
05. राजन पुत्री स्व० श्री डालचन्द पत्नी श्री मनोज कुमार जाति गुर्जर हाल निवासी पारौली तहसील व जिला पलवल (हरियाणा)

:–अपीलान्टान

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, टपूकडा जिला खैरथल तिजारा (राज०)
02. सचिव महोदय, नगर विकास न्यास, भिवाडी तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा रेस्पोडेन्टान

:–रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध निर्णय इन्तकाल सं. 682 दर्ज व स्वीकार दिनांक 30.01.1997 वाके ग्राम आलमपुर तहसील टपूकडा की आराजी गलत तौर पर रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नाम अमल कर दिया हे बमुराद मन्सूख किये जाने उक्त आदेश व स्वीकार किये जाने अपील अपीलान्टान।

उपस्थित :

1. **श्री विरेन्द्र कुमार एडवोकेट** :– **वकील अपीलान्टान**
2. **श्री एस.के. अग्रवाल, मनु अग्रवाल एडवोकेट** :–**वकील रेस्पोडेन्ट**

–: <u>निर्णय</u> :–

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गयां। पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि इन्तकाल सं. 682 वाके ग्राम आलमपुर तहसील टपूकडा का रेस्पोडेन्ट सं. 1 तहसीलदार के निर्णय के विरूद्ध पेश की जा रही है। प्रकरण के वास्तविक तथ्य इस प्रकार से है कि इन्तकाल सं. 682 में दर्ज आराजी खसरा नं. 344 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि वाके ग्राम आलमपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा जो कि हम अपीलान्टान के पिता डालचन्द पुत्र श्री रूडाराम की कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि थी। जिस भूमि पर हम अपीलान्टान का पिता अपने जीवनकाल में काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करता रहा है। उक्त वर्णित आराजी खसरा नं. 344 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से 17 बिस्वा भूमि को रेस्पोडेन्ट सं. 2 नगर विकास न्यास द्वारा अवाप्त कर लिया गया था। जिसकी मुआवजा राशि हम अपीलान्टान के पिता श्री डालचन्द ने विधि सम्मत तरीके से प्राप्त कर ली थी और उक्त 17 बिस्वा का इन्तकाल सं. 661 रेस्पोडेन्ट सं. 2 नगर विकास न्यास के नाम दर्ज व मन्जूर हो गया था। परन्तु राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने उक्त वर्णित आराजी खसरा नं. 344 मिन रकबा 12 बिस्वा का सहबन से अमल रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नाम दर्ज

किया। हम अपीलान्टान के पिता द्वारा आराजी खसरा नं. 344 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से 17 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 2 को अवाप्त कर मुआवजा राशि प्राप्त कर ली थी और आराजी खसरा नं. 344 में से 1 बीघा रकबा का ही हम अपीलान्टान का पिता डालचन्द का शेष बचा था, जिस पर वह काबिज मालिक था। हम अपीलान्टान के पिता डालचन्द ने अपनी शेष बची कृषि भूमि 1 बीघा यानि 2500 वर्गमीटर का आवासीय भू–रुपान्तरण जरिये इन्तकाल 680 से करा लिया था। जबकि रिकार्ड में हम अपीलान्टान के पिता के नाम 5 बिस्वा भूमि अधिक बोल रही थी। यदि हम अपीलान्टान के पिता डालचन्द के मन में बदनियती होती तो वह 5 बिस्वा जो रिकार्ड में उनके नाम अधिक बोल रही थी, को भी बाला बाला अपने नाम भू रूपान्तरित करा लेता। हम अपीलान्टान का पिता जो कि एक ईमानदार, सज्जन व्यक्ति था, जिसने नगर विकास न्यास से कोई बेईमानी नहीं की। जिसकी बाबत हम अपीलान्टान के पिता ने कई बार तहसीलदार के पास जाकर उक्त भूमि को नगर विकास न्यास के नाम समर्पित करने का आग्रह किया तो तहसीलदार हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल बाल करता रहा है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने एक शुद्धि का प्रकरण सक्षम न्यायालय में दायर किया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 तहसीलदार टपूकडा ने हम अपीलान्टान के पिता डालचन्द को कोई नोटिस दिये बगैर व बिना कोई सूचना दिये और बिना कोई पैरवी करने का अवसर दिये, ना ही गांव में कोई इश्तहार लगाये उक्त आराजी खसरा नं. 344 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 1 बीघा भूमि सालिम यानि 2500 वर्गमीटर जिसका हम अपीलान्टान के पिता ने भू रूपान्तरण करा लिया था व शेष 5 बिस्वा भूमि नगर विकास न्यास की थी लेकिन रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने विधि विरुद्ध तरीके से इन्तकाल सं. 682 दिनांक 30.01.1997 को दर्ज व स्वीकार कर 17 बिस्वा भूमि नगर विकास के नाम कर दी जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 को इन्तकाल सं. 661 के अनुसार 5 बिस्वा भूमि इस इन्तकाल सं. 682 के माध्यम से राजस्व रिकार्ड में अमल करनी थी। परन्तु तहसीलदार टपूकडा ने विधि विरूद्ध व गैरकानूनी तरीके से हम अपीलान्टान के पिता की 12 बिस्वा अधिक भूमि को नगर विकास न्यास के नाम इन्तकाल सं. 682 दर्ज व मन्जूर कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया। जो आदेश हरसूरत में निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 तहसीलदार ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 को बेजा लाभ पहुंचाने की गरज से विधि विरूद्ध व गैरकानूनी तरीके से कानूनी अहम मूल कारित कर इन्तकाल सं. 682 दिनांक 30.01.1997 को दर्ज व मन्जूर कर हम अपीलान्टान के पिता डालचन्द की भू रूपान्तरण 12 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट सं 2 के नाम किया है, जो आदेश हरसूरत में अपास्त किये जाने योग्य है। हम अपीलान्टान के पिता डालचन्द को कानून कायदे की कतई जानकारी नहीं है और ना ही उनको उक्त इन्तकाल सं. 682 के दर्ज व स्वीकार होने की कोई जानकारी रही है। हम अपीलान्टान के पिता डालचन्द का देहान्त दिनांक 03.01.2012 को हो गया। हम अपीलान्टान जो कि मृतक डालचन्द के जाईन्दा विधिक वारिसान है तथा उसकी विरासत से मिली भूमि पर काबिज व दाखिल होंकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा मौके पर वास्तविक कब्जा है। हम अपीलान्टान अपने मृतक पिता डालचन्द से विरासत से मिली भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। हम अपीलान्टान को भी उक्त इन्तकाल सं. 682 की पूर्व में कोई जानकारी नहीं रहीं है। दिनांक 30.07.2025 को रेस्पोडेन्ट सं. 2 के कुछ कर्मचारी वहां आये और कहने लगे कि इस भूमि में से 12 बिस्वा भूमि तुम्हारे पास है, जिसे खाली कर देना, रेस्पोडेन्ट सं. 2 को अपने प्रोजेक्ट के लिए निर्माण करना है। जिनकी बातों को सुनकर अपीलान्टान हक्का बक्का रह गये और हल्का पटवारी के जाकर जमाबन्दी का अवलोकन किया तो हम अपीलान्टान को वर्णित हाल आराजी खसरा नं. 344 के 1 बीघा में से 12 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नामित रिकार्ड में दर्ज होना पाया। जिस कानूनी राय मशवरा कर अन्य दस्तावेजात लेकर ली तो गलत इन्तकाल सं. 682 की जानकारी सामने आई है। जिस पर रेस्पोडेन्टान से दिनांक 11.08.2025 को गलत इन्तकाल सं. 682 को दुरुस्त करने का निवेदन किया तो वे साफ तौर से इन्कार हो गये और रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अपीलान्टान को

बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दी है। इसलिए मिन अपीलान्ट को अपने हितो की रक्षार्थ यह अविलम्ब ही अपील पेश की जा रही है। दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। इन्तकाल सं. 682 में वर्णित आराजी खसरा नं. 344 वाके ग्राम आलमपुर में हम अपीलान्टान के हक हकूक निहित है, जो हम अपीलान्टान को अपने मृतक पिता डालचन्द से विरासत से मिली है। इसलिए हम अपीलान्टान को अपने हकूको की रक्षार्थ यह अपील हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः अपील अपीलान्टान पेश कर निवेदन है कि हम अपीलान्टान की अपील स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल सं. 682 दर्ज व स्वीकार दिनांक 30.01.1997 वाके ग्राम आलमपुर तहसील टपूकडा को अपास्त कर, नये सिरे से इन्तकाल सं. 682 दर्ज व स्वीकार कर आराजी खसरा नं. 344 रकबा 1 बीघा यानि 2500 वर्गमीटर भू रूपान्तरित हम अपीलान्टान के नाम तथा आराजी खसरा नं. 344 रकबा 5 बिस्वा रेस्पोडेन्ट सं. 2 नगर विकास न्यास के नाम इन्तकाल दर्ज व स्वीकार किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अपीलान्ट द्वारा साक्ष्य दस्तावेजी में नियम 33 के तहत सत्यप्रति इंतकाल संख्या 661 ग्राम आलमपुर प्रदर्श–1, सत्यप्रति इंतकाल संख्या 661 ग्राम आलमपुर, सत्यप्रति इंतकाल संख्या 680 एवं 682 ग्राम आलमपुर प्रदर्श–2, सत्यप्रति जवाब तहसीलदार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रदर्श–3 सत्यप्रति बीडा द्वारा पेश जवाब न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रदर्श–4 संलग्न किया गया है।

बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि आराजी खसरा नं. 344 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि वाके ग्राम आलमपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा जो कि हम अपीलान्टान के पिता डालचन्द पुत्र श्री रूडाराम की कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि थी। उक्त वर्णित आराजी खसरा नं. 344 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से 17 बिस्वा भूमि को रेस्पोडेन्ट सं. 2 नगर विकास न्यास द्वारा अवाप्त करं लिया गया था। जिसकी मुआवजा राशि हम अपीलान्टान के पिता श्री डालचन्द ने विधि सम्मत तरीके से प्राप्त कर ली थी। परन्तु राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने उक्त वर्णित आराजी खसरा नं. 344 मिन में से रकबा 17 बिस्वा की जगह रकबा 12 बिस्वा का सहबन से अमल रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नाम दर्ज किया। हम अपीलान्टान के पिता द्वारा आराजी खसरा नं. 344 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से 17 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 2 को अवाप्त कर मुआवजा राशि प्राप्त कर ली थी और आराजी खसरा नं. 344 में से 1 बीघा रकबा का ही हम अपीलान्टान का पिता डालचन्द का शेष बचा था, जिस पर वह काबिज मालिक था। हम अपीलान्टान के पिता डालचन्द ने अपनी शेष बची कृषि भूमि 1 बीघा यानि 2500 वर्गमीटर का आवासीय भू–रुपान्तरण जरिये इन्तकाल 680 से करा लिया था। जबकि रिकार्ड में हम अपीलान्टान के पिता के नाम 5 बिस्वा भूमि अधिक बोल रही थी। रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने एक शुद्धि का प्रकरण सक्षम न्यायालय में दायर किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 तहसीलदार टपूकडा ने हम अपीलान्टान के पिता डालचन्द को कोई नोटिस दिये बगैर व बिना कोई सूचना दिये और बिना कोई पैरवी करने का अवसर दिये उक्त आराजी खसरा नं. 344 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि में सें रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने विधि विरुद्ध तरीके से इन्तकाल सं. 682 दिनांक 30.01.1997 को दर्ज व स्वीकार कर 17 बिस्वा भूमि नगर विकास के नाम कर दी जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 को इन्तकाल सं. 661 के अनुसार 5 बिस्वा भूमि इस इन्तकाल सं. 682 के माध्यम से राजस्व रिकार्ड में अमल करनी थी। जिससे हम अपीलान्टान के पिता डालचन्द की भू रूपान्तरण 12 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट सं 2 के नाम दर्ज हो गयी जो आदेश हरसूरत में

अपास्त किये जाने योग्य है। हम अपीलान्टान अपने मृतक पिता डालचन्द से विरासत से मिली भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। हम अपीलान्टान को भी उक्त इन्तकाल सं. 682 की पूर्व में कोई जानकारी नहीं रहीं है। दिनांक 30.07.2025 को रेस्पोडेन्ट सं. 2 के कुछ कर्मचारी वहां आये और कहने लगे कि इस भूमि में से 12 बिस्वा भूमि तुम्हारे पास है, जिसे खाली कर देना, रेस्पोडेन्ट सं. 2 को अपने प्रोजेक्ट के लिए निर्माण करना है। जिसके बाद हमनें हल्का पटवारी के पास जाकर जमाबन्दी का अवलोकन किया तो हम अपीलान्टान को वर्णित हाल आराजी खसरा नं. 344 के 1 बीघा में से 12 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नामित रिकार्ड में दर्ज होना पाया। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील एवं बहस के पक्ष में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा में रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 प्रस्तुत जवाब की सत्य प्रतिलिपि न्यायालय के अवलोकनार्थ एवं रिकॉर्ड पर लेने हेतु पेश किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल सं. 682 दर्ज व स्वीकार दिनांक 30.01.1997 वाके ग्राम आलमपुर तहसील टपूकडा को अपास्त कर, नये सिरे से इन्तकाल सं. 682 दर्ज व स्वीकार कर आराजी खसरा नं. 344 रकबा 1 बीघा यानि 2500 वर्गमीटर भू रूपान्तरित हम अपीलान्टान के नाम तथा आराजी खसरा नं. 344 रकबा 5 बिस्वा रेस्पोडेन्ट सं. 2 नगर विकास न्यास के नाम इन्तकाल दर्ज व स्वीकार किये जाने के आदेश हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 2 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा में दिये गये जवाब को स्वीकार कर दोहराते हुए निवेदन किया गया कि सही जवाब रस्पोडेन्ट द्वारा दिया जा सकता है बाकि वादि स्वयं सिद्ध करें।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम मियाद अधिनियम की धारा 5 पर विवेचन करना उचित समझते हैं। अपीलान्ट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में देरी होने का कारण दर्शित किया है। अतः प्रार्थना पत्र पर नर्मी का रूख अपनाते हुए मियाद प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश दिनांक से अपील दायर दिनांक तक कि अवधी को कन्डोन किया जाकर अपील मियाद शुमार कि जाती है। जहां तक प्रश्न अपील के गुणावगुण का है इस विषय में मत है कि रेस्पो. संख्या 1 एवं रेस्पो0 संख्या 2 का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा में प्रस्तुत जवाब प्रासंगिक है रेस्पो. संख्या 1 तहसीलदार टपूकडा के पत्र क्रमांक 3894 दिनांक 12.10.2023 के अनुसार– (1) जमाबंदी संवत् 2075–76 के अनुसार ख.न. 528/344 रक्बा 0.10 है0 भूमि किस्म गै.मु. आबादी डालचन्द पुत्र रूडाराम जाति गुर्जर सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है एवं ख.न. 529/344 रक्बा 0.36 है0 भूमि किस्म गैर मु. आबादी नगर निकास न्यास भिवाडी हाल बीडा भिवाडी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। (2) नामान्तकरण संख्या 661 से ख.न. 344 रक्बा 17 बिस्वा नगर विकास न्यास अलवर दर्ज रिकॉर्ड है। जिसका नोट जमाबन्दी सं. 2045–48 में अंकित है। अंकित लाल स्याही नोट नामान्तकरण संख्या 661 से 344 का रक्बा 12 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है अर्थात नामान्तकरण संख्या 661 एवं जमाबंदी में अंकित नोट नामान्तकरण 661 में 5 किस्वा भूमि कम दर्ज की गई है। ख.न. 344 का कुल रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा है। (3) जमाबंदी सं. 2049–52 के अनुसार ख.न. 344 का रक्बा 1 बीघा 5 बिस्वा नामान्तकरण संख्या 680 भूमि रूपान्तरण दिनांक 06.10.1996 से ख.न. 344 मिन रक्बा 1 बिघा 5 बिस्वा मे से 2500 वर्गमीटर भूमि का आवासीय रूपान्तरण जरिये सनद पटटा संख्या 19 दिनांक 24.06.1996 से किया गया है। (4) कार्यालय तहसीलदार (भू0अ0) तिजारा के आदेश क्रमांक भू0अ0/96/2327 की पालना में नामान्तकरण संख्या 682 भूमि अवाप्ति से ख.न. 344 मिन रक्बा 1 बीघा 5 बिस्वा में से 17 बिस्वा भूमि बहक नगर विकास न्यास अलवर हाल बीडा भिवाडी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जिसका जमाबंदी सं. 2049–52, 2053–56 में उपरोक्त नामान्तकरण नोट अंकित नही है। (5) जमाबन्दी सं. 2057–60 के अनुसार ख.न. 344 मिन रक्बा 0.21 है0 344 मिन रक्बा 0.15 है0

भूमि नगर विकास न्यास के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं ख.न. 344 मिन रक्बा 0.10 है0 भूमि किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ डालचन्द पुत्र रूडाराम कौम गुर्जर सा0देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। साथ ही रेस्पो. संख्या 2 नगर विकास न्यास भिवाडी हाल बीडा भिवाडी के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में प्रस्तुत जवाब के अनुसार नगरीय विकारा एंव आवासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.12.1989 के तहत धारा 04 की अधिसूचना के अन्तर्गत प्रस्तावित योजना चित्रकूट नगर में "डालचन्द पुत्र रुडाराम जाति गुर्जर " के खसरा संख्या 344 रकबा 17 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम के तहत अधिसूचित है। राजस्थान राज पत्र, जून 25, 1990 की अधिसूचना के तहत धारा 06 की अधिसूचना के तहत डालचन्द पुत्र रुडाराम जाति गुर्जर के खसरा न0 344 रकबा 17 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम के तहत अधिसूचित है तथा धारा 11 के तहत दिनांक 04.10.1990 द्वारा खसरा संख्या 344 रकबा 17 बिस्वा एवं खसरा संख्या 345 रकबा 13 बिस्वा कुल 01 बीधा 10 विस्वा का डालचन्द पुत्र रुडा कौम गुर्जर को मुवावजा 136500 तय किया गया था, एवं भुगतान रजिस्टर की प्रति अनुसार कुल 01 बीघा 10 बिस्वा का डालचन्द पुत्र रुडा जाति गुर्जर को मुआवजा 136500 दिया जा चूका है।

रेस्पो. सं0 2 बीडा भिवाडी के जवाब से स्पष्ट है कि उनके द्वारा ख.न. 344 मिन रक्बा 1 बीघा 17 बिस्वा में से कुल 17 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई थी। साथ ही रेस्पो0 सं. 1 तहसीलदार टपूकडा के जवाब से भी यह प्रतीत होता है कि ख.न. 344 मिन रक्बा 1 बीघा 17 बिस्वा में से नामान्तकरण संख्या 661 के द्वारा 12 बिस्वा एवं नामान्तकरण संख्या 682 के द्वारा 17 बिस्वा का अंकन नगर विकास न्यास अलवर हाल बीडा भिवाडी के नाम किया गया है। अतः चूंकि अपीलान्ट की आराजी ख.न. 344 में आवाप्त कुल 17 बिस्वा में से पूर्व में 12 बिस्वा अवाप्त की जा चुकि थी अतः तहसीलदार टपूकडा के द्वारा इंतकाल संख्या 682 दर्ज करते समय शेष 5 बिस्वा भूमि अवाप्त की जानी चाहिए थी। तहसीलदार टपूकडा द्वारा पूर्व में अवाप्त भूमि एवं अवाप्ति से शेष भूमि के रक्बे पर गौर नही किया अतः तहसीलदार टपूकडा द्वारा इंतकाल संख्या 682 ग्राम आलमपुर पारित करने मे कानूनी भूल की है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार टपूकडा द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 682 वाके ग्राम आलमपुर निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार टपूकडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए राजस्व रिकॉर्ड में विधि सम्मत नामान्तकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। निणर्य प्रति तहसीलदार टपूकडा को प्रेषित की जावें। प्रकरण फैसल सुमार होकर बाद तकमील व तरतीब दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 25.02.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमित्रा मिश्र आर.ए.एस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भिवाडी,खैरथल–तिजारा।